



राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्रमांक 1799. मि.सं./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2020
प्रति,

रायपुर, दिनांक 12 मई, 2020

ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ एवं टीम लीडर
यू.एम.सी., ग्लोबल,
गुजरात कॉलेज रोड, अहमदाबाद, गुजरात।


विषय:- ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यूनिसेफ के सहयोग से संचालित पायलट प्रोजेक्ट की प्राप्त डी.पी.आर संबंध में।

---000---

विषयांतर्गत ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन हेतु 4 जिलों का चिन्हांकन पायलट प्रोजेक्ट हेतु किया गया है। इन पायलट प्रोजेक्ट की D.P.R. आपके द्वारा प्राप्त हुई है। इन D.P.R. का अध्ययन करने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि मॉडल D.P.R. में निम्न सुधार करना अति आवश्यक है।


1. D.P.R. को हिन्दी भाषा में अनुवाद करके प्रेषित करें।
2. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल सामुदायिक स्तर पर होने वाली गतिविधियों में व्यय होने वाली राशि का वहन ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अंतर्गत होगा।
3. घरेलू स्तर पर होने वाली गतिविधियों जैसे ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर प्रबंधन हेतु सोखे गड्डे का निर्माण, किचन गार्डन, वर्मी कम्पोस्ट पीट के निर्माण आदि में व्यय होने वाली राशि का वहन स्वयं हितग्राहियों द्वारा या अन्य योजनाओं के अभिसरण से होगा। अतः मॉडल D.P.R. में घरेलू स्तर पर SLWM के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों हेतु व्यय राशि किन-किन योजनाओं के अभिसरण (जैसे मनरेगा, 14 वित्त, कृषि विभाग) से प्राप्त होगी, इसका उल्लेख भी करें।
4. प्राप्त D.P.R. की कुल अनुमानित राशि ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की प्रावधानित राशि से अधिक है। अतः D.P.R. की अनुमानित राशि प्रावधानित राशि के सीमा के भीतर ही रहे।

D.P.R. में उपरोक्त सुधार कर मिशन कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करें।


मिशन संचालक 12/5/2020
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ.क. 1800... मि.सं./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2020 रायपुर, दिनांक 12/05/2020
प्रतिलिपि,

1. वॉश ऑफिसर, यूनिसेफ, सिविल लाइन, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
12/5/2020